10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

94

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निग. 3555-पी/15

दिलीप पाण्डे (एड.) द्वारा आज दि. 2/11/2015 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रामसहाय बल्द हल्के गड़रिया,
निवासी ग्राम नदया, तह. राजनगर जिला छतरपुर (म०प्र०) ....आवेदक

//विरूद्ध//

म०प्र० शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म.प्र. के प्रकरण क्रमॉक 134/अ–19(4)/स्व.नि./2005–06 में पारित आदेश दिनांक 08–04–2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक को ग्राम नदया सर्वे नं. 347/2 रकवा 2.00 हे0 का पट्टा विचारण न्यायालय तहसीलदार राजनगर द्वारा 06/अ–19(4)/2000–2001 में दखल रहित अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही करते हुए आवेदक को दिए गए प्रश्नाधीन भूमि के पट्टे बावत दिए गए कारण बताओं सूचना पत्र का विधिवत उत्तर प्रस्तुत किए जाने के उपरांत बिना किसी सूक्ष्म जांच एवं प्रस्तुत उत्तर एवं न्यायिक दृष्टांतों का परिशीलन किए बिना विवादित भूमि को शासन में दर्ज किए जाने का दूषित आदेश पारित कर दिया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि आवेदक भूमिहीन एवं असहाय, ग्रामीण एवं अनपढ़ उसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि ही है उसे भूमिहीन होने और विवादित भूमि पर कब्जा होने के आधार पर ही दखल रहित अधिनियम के तहत ही पट्टा जारी किया गया था जिसमें उसने उसे काफी श्रमधन चर्ख कर उसे उन्नत बनया गया उस पर लोन लेकर कृषि कार्य कर अपने परिवार के साथ जीवनयापन करता चला आ रहा है वर्तमान में भी वह विवादित भूमि पर काबिज चला

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग. 3555 II / 15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-16	1— आवदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2— मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी श्रीमान अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 134 / अ—19(4) / स्व.निग. / 2005—06 मे पारित आदेश दिनांक 08 / 04 / 2015 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि का पट्टा दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत ग्राम नंदया की भूमि सर्वे नं0 347 / 2 रकवा 2.00 हे0 भूमि स्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया गया था। म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाना(विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गम भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवेदक का कब्जा लगभग 30 वर्षो से चला आ रहा है। खसरा की नकल में आवेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर तहसीलदार राजनगर द्वारा प्र. क. 06 / अ—19(4) / 2000—01 आदेश दिनांक 10 / 07 / 2001 को आवेदक के नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् आदेश पारित किया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जॉच एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत विवादित आदेश पारित करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 15—20 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363	

[कृ. प. उ.

R. 3555-ए/15 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों आदि

मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

5– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को 02/10/1984 में कब्जा न होने के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 2001 में किया गया है। एवं प्रस्तावित कार्यवाही वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई है। ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूॅ। अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/04/2015 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/07/2001 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य